रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258651
SG-DL-E-14112024-258651

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]	दिल्ली, बुध्वार, नवम्बर 13, 2024/कार्तिक 22, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 248
No. 283]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 13, 2024/KARTIKA 22, 1946	[N. C. T. D. No. 248

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 12 नवम्बर, 2024

सं. एफ.15(1615)/पीएसबी/2023/ईडब्ल्यूएस/अधिसूचना/6505-6519— दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011, अधिसूचना संख्या 15 (172)/डीई/एक्ट/2010/69 दिनांक 07.01.2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

जबकि, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा डब्लू.पी. (सी). संख्या 3168/2013 शीर्षक हिमांगी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पारित फैसला दिनांक 07.10.2023 के अनुपालन में, आदेश दिनांक 07.01.2011 की अधिसूचना के खंड 2 (ग) जो “कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चें” को अभिव्यक्ति करता हैं, उसके वाक्यांश "पिछले तीन वर्षों के लिए” को परिपत्र संख्या डीई. 15/एक्ट-1/डब्लू.पी.सी. संख्या 3168/13/2013/11734-11738 दिनांक 14.11.2013 द्वारा हटा दिया गया था

जबकि, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा डब्लू.पी. (सी) संख्या 4006/2021 शीर्षक मास्टर सिंघम बनाम शिक्षा निदेशालय एवं अन्य, में पारित फैसला दिनांक 05.12.2023 के द्वारा, आदेश दिनांक 07.01.2011 के खंड 2 (सी) में तहत आवश्यक आय को बढ़ाकर एक लाख रूपये की जगह पांच लाख रूपये कर दिया गया।

जबकि, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा एल.पी.ए. संख्या 120/2024 शीर्षक शिक्षा निदेशालय बनाम मास्टर सिंघम एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 के द्वारा डब्लू.पी. (सी). संख्या 4006/2021 में पारित विवादित फैसला दिनांक 05.12.2013 के पैरा-119 में उल्लेखित निर्देश पर रोक लगा दी गई और ईडब्लूएस के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा को बढ़ाकर दो लाख पचास हजार रूपये करने का निर्देश दिया गया।

इसलिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 43 के साथ पठित और बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 में निम्नलिखित संशोधन का आदेश करते है, अर्थात्:-

"दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 के खंड 2 के उप-खंड (सी) में, शब्द "मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय एक लाख रूपए से कम हो और जो पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं' को निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है "मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता की सभी सोतों से कुल वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये से कम है और जो दिल्ली में रह रहे है।"

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश और नाम से,
शिंगारे रामचंद्र महादेव, अतिरिक्त शिक्षा सचिव

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 12th November, 2024

No. F.15(1615)/PSB/2023/EWS/Notification/6505-6519.— The Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011, was published vide Notification. No. 15(172)/DE/Act/2010/69 dated 07.01.2011;

Whereas, in compliance of the Hon'ble High Court, Delhi judgement dated 07.10.2013 passed in W.P. (C) No. 3168/2013 titled Himangi Vs. GNCT of Delhi, the clause 2 (c) of the order dated 07.01.2011 was amended to the extent that the phrase "for the last three years" appearing in the expression "Child belonging to weaker sections" was removed vide Circular No. DE-15/Act- I/WPC No. 3168/13/2013/11734-11738 dated 14.11.2013;

Whereas, vide judgement dated 05.12.2023 passed in W.P. (C) No. 4006/2021 titled Master Singham Vs. Directorate of Education & Anr., the Hon'ble High Court of Delhi directed to increase the required income under Clause 2 (c) of order dated 07.01.2011 to Rs. 5 lakhs instead of Rs 1 lakh;

Whereas, vide order dated 05.03.2024 passed in L.PA No. 120/2024, titled as Directorate of Education Vs. Master Singham &Anr., preferred by Directorate of Education, the directions in Para-119 of the impugned judgement dated 05.12.2023 in W. P. (C) No. 4006/2021 has been stayed and the threshold income for admission under EWS in interregnum is directed to be increased to Rs. 2.5 lakhs.

Therefore, in compliance of said directions of Hon'ble High Court of Delhi and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973 and under the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011, as under-

"In sub-clause (c) of clause 2 of the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order 2011, the words *"means a child whose parents have total annual income of less than one lakh rupees from all sources and who have been staying in Delhi for the last three years"* shall be substituted with "*means a child whose parents have total annual income of less than two lakh and fifty thousand rupees from all sources and who have been staying in Delhi"*

The notification shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

By Order and in The Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi

SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV, Addl. Secy. (Education)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.11.14 14:56:32 +05'30'